

प्रेषक,

मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत)
बस्ती मण्डल,
बस्ती।

सेवामें,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
बस्ती मण्डल।

पत्रांक २४/

/म०प्र०/स्व०भा०मि०/2015-16 दिनोंक २७ दिसम्बर, 2015

विषय:-

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना(Annual Implementation Plan) के आधार पर निर्धारित लक्ष्य को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशक पंचायती राज उ०प्र० के परिपत्र संख्या- 5/2564/2012-5/38/2015 दिनोंक 18 नवम्बर, 2015 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो समस्त जिलाधिकारी /अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति /जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी, उ०प्र० को सम्बोधित एवं समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ०प्र० तथा समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत) उ०प्र० को पृष्ठांकित है एवं जिसके द्वारा जनपदों के निर्धारित लक्ष्य को संशोधित करते हुए उक्त संशोधित लक्ष्य को 31 मार्च, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। निदेशक पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ के उक्त परिपत्र दिनांक 18.11.2015 के साथ संलग्न संलग्नक के अनुसार वर्तमान लक्ष्य (वार्षिक कार्य योजना 2015-16 के अनुसार) को संशोधित करते हुए निदेशालय द्वारा संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त संशोधित लक्ष्य को ही प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना है। निदेशालय द्वारा निर्धारित उक्त संशोधित लक्ष्य के अनुसार आपके जनपद का वर्ष 2015-16 का व्यवितरण शौचालय निर्माण का लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2015-16 में शौचालय निर्माण का संशोधित लक्ष्य
1	बस्ती	25000
2	संतकबीरनगर	25000
3	सिद्धार्थनगर	21113

निदेशालय के उक्त परिपत्र संख्या-5/2564/2012-5/38/2015 दिनोंक 18 नवम्बर, 2015 में भी यह भी उल्लिखित है कि जिन जनपदों को लक्ष्य पूर्ति हेतु धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, उन्हें धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु जनपद द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की आनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

29035

X
(कृष्ण मुरारी अस्थाना)
प्रशासनिक अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०

की वेबसाईट पर किया जाना होगा अन्यथा की दशा में धनराशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।"

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप संशोधित लक्ष्य के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में शौचालय निर्माण कराना सुनिश्चित कराएं और यदि संशोधित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो पूर्व से जनपद में व्यक्तिगत शौचालय मद की उपलब्ध धनराशि का पूर्ण उपभोग कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की आनलाइन रिपोर्टिंग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर कराते हुए, अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 / शासन से करना सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रारूप पर तत्काल सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(एस० क० पटेल)
मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत)
बस्ती मण्डल
बस्ती

पत्रांक २४। / 2015-16 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी बस्ती मण्डल।

2- समस्त जिलाधिकारी, बस्ती मण्डल।

3- निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ।

4- आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती की सेवामें अवलोकनार्थ।

(एस० क० पटेल)
मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत)
बस्ती मण्डल
बस्ती